

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2009 ई0

भाद्रपद 20, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

संख्या-677/XXVII(9)/स्टाम्प-61/2008

देहरादून, 11 सितम्बर, 2009

अधिसूचना

प0आ0- 165

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1899) की धारा 9 के उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस निमित्त जारी की गई अधिसूचनाओं संख्या-क0स0, वि-5-3706/11-98-500(20)-98, दिनांक 31 अगस्त, 1998 तथा अधिसूचना संख्या-74/XXVII(9)/स्टाम्प/2008, दिनांक 25 अप्रैल, 2008 का आंशिक उपान्तरण करते हुए, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की अनुसूची 1-ख के अधीन निम्नलिखित वर्ग की लिखतों पर प्रभार्य शुल्क में निम्न प्रकार छूट प्रदान करते हैं :-

- (1) अनुच्छेद 5 के अधीन करार या करार के ज्ञापन;
- (2) अनुच्छेद 18 के अधीन विक्रय प्रमाण-पत्र;
- (3) अनुच्छेद 31 के अधीन सम्पत्ति विनिमय;
- (4) अनुच्छेद 32 के अधीन अतिरिक्त प्रभार;
- (5) अनुच्छेद 33 के अधीन दान की लिखतों पर;

उक्त पर स्टाम्प शुल्क की दरें अधिसूचना संख्या-क0स0वि0-5-3706/11-98-500(20)-98, दिनांक 31 अगस्त, 1998 के द्वारा अनुच्छेद 15 के अधीन बन्ध पत्र और अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण पत्र पर यथा घटायी गयी देय दरों के अनुरूप होंगी।

परन्तु यह कि यदि दानग्रहीता, दाता के परिवार का सदस्य हो, तो स्टाम्प शुल्क की दर एक हजार रुपये या उसके भाग पर बीस रुपये प्रति हजार की दर से दान की गई सम्पत्ति के बाजारी मूल्य देय होगी।

स्पष्टीकरण- परिवार का तात्पर्य इस प्रयोजन हेतु दाता के पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र,

पुत्री, पुत्रवधू, भाई बहन तथा नाती-पोतों से है।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन,)

प्रमुख सचिव।

पत्रांक : 677(1)/XXVII/(9)/स्टाम्प-55/2009, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून ।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून । 5. उप-निदेशक, लिथो प्रेस, रूड़की को हिन्दी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे गजटके आगामी अंक में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग-9 को उपलब्ध करा दहें ।
6. न्यायय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)

सचिव ।